बिहार सरकार
कला एवं संस्कृति विभाग

ज्ञाप संख्याः–5पुरा0 / वि03–31 / 2020 (खण्ड)...../ पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।

विषयः– राजकीय सुरक्षित पुरास्थल / स्मारक गोलघर एवं मॉरिशन भवन के समेकित जीर्णोद्धार एवं विकास हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल ₹ 17,52,25,100 / – (सतरह करोड़ बावन लाख पच्चीस हजार एक सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति सहित राशि की निकासी की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

2. व्यय का विकलन मांग संख्या–03 के अधीन योजना बजट शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय–60–अन्य भवन–051–निर्माण–0107–सांस्कृतिक संरचना विपत्र कोड–034059600510107 के अन्तर्गत विषय शीर्ष–5301–मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत होगा।
3. राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना से की जाएगी।
4. सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा राशि का आवंटन किया जाएगा। भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना इसका कार्यकारी अभिकरण होगा। प्रशासनिक स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पादन के उपरान्त भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना को कार्यान्वयन प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
5. तकनीकी स्वीकृति से पूर्व तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के दरों की समीक्षा अन्य संगत विभागों, CPWD के SOR से भी कर ली जाय एवं तत्पश्चात् शेष गैर अनुसूचित मदों पर नियमानुसार सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
6. राशि की निकासी आवश्यकता पड़ने पर ही की जाएगी।
7. इस योजना का कार्य पुरातात्विक अनुशासन के अनुरूप किया जाएगा।
8. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) एवं तकनीकी रुप से स्वीकृत प्राक्कलन की प्रति तथा एकरारनामा की प्रति कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।
9. बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
10. यह स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 2561, दिनांक 17.04.1998 एवं संकल्प संख्या– 12888, दिनांक 03.12.2024 के निहित प्रावधान के आलोक में दी गई है।
11. राशि की स्वीकृति पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 5पुरा0 / वि03–31 / 2020 (खण्ड) के क्रमशः पृ0– 26 / टि0 तथा पृ0– 25 / टि0 पर प्राप्त है।
12. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 वि0(2), दिनांक–05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार–पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –
(कृष्ण कुमार)
निदेशक, पुरातत्व, बिहार।

PA. 105

ज्ञापांक :...../ पटना, दिनांक

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
निदेशक, पुरातत्व, बिहार।

ज्ञापांक :...../ पटना, दिनांक

प्रतिलिपि – जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
निदेशक, पुरातत्व, बिहार।

ज्ञापांक :...../ पटना, दिनांक

प्रतिलिपि – सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/–
निदेशक, पुरातत्व, बिहार।

ज्ञापांक :...5...../ पटना, दिनांक 10/11/2026

प्रतिलिपि:– माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री के आप्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/निदेशक, पुरातत्व/संयुक्त सचिव/आंतरिक वितीय सलाहकार/विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रशाखा पदा0–1 एवं 5/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/सहायक अभियंता/आई0टी0 प्रबंधक (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/11/2026
निदेशक, पुरातत्व, बिहार।

PA. 106